[2022] 2 एस. सी. आर. 363

ए.

मेसर्स शिवराम चंद्र जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज और ए. एन. आर.

वी.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड ऑर्स। (2019 की सिविल अपील संख्या 2371)

बी.

24 जनवरी, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

बीमा-स्टॉक पॉलिसी में सुधार (डी. ओ. एस. पॉलिसी)-पॉलिसी में विशिष्ट अपवाद-अपीलकर्ता द्वारा संग्रहीत आलू का स्टॉक शीत भंडारण में अंकुरित हुआ था-बीमाकर्ता को प्रस्तुत दावा-पॉलिसी के अपवादों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीमाकर्ता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि प्रशीतन कक्ष में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस (40 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक नहीं था-अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि उचित तापमान बनाए रखा गया था और इसे लॉगबुक में दर्ज किया गया था-कुछ समय बाद, जब अपीलकर्ता के प्रतिनिधि का बयान सर्वेक्षणकर्ता द्वारा दर्ज किया गया था, तो यह दावा किया गया था कि आलू के सड़ने का मुख्य कारण तापमान में वृद्धि थी-एन. सी. डी. आर. सी.तत्काल मामले में, अपवाद के संदर्भ में कोई अस्पष्टता नहीं है-सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तापमान कभी भी 4.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहा, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया था-शीत भंडारण का तापमान आलू के स्वास्थ्य के लिए मौलिक है जिससे संबंधित नीति ली गई थी-बीमाकर्ता ने 4.4 डिग्री सेल्सियस के तापमान को इष्टतम तापमान के रूप में पहचाना, जिस पर आलू का सड़ना नहीं होना चाहिए और इस प्रकार 4.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे या उसके बराबर तापमान पर आलू के बिगड़ने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी दायित्व से खुद को मुक्त कर दिया है-डी. ओ. एस. नीति के अपवादों के खंड (vi) को पढ़ने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह नीति के मुख्य उद्देश्य के साथ टकराव में नहीं है -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

बीमा-बीमा पॉलिसी में अपवादों की भूमिका-चर्चा की गई।

एच.

363

364 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

ए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.** वर्तमान मामले में, अपवाद के संदर्भ में कोई अस्पष्टता नहीं है।स्टॉक पॉलिसी में गिरावट **(**डी**.** ओ**.** एस**.** पॉलिसी**)** का अपवाद स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यदि प्रशीतन कक्षों में तापमान **4.4** डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है तो बीमाकर्ता नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।" सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तापमान कभी भी **40** डिग्री फ़ारेनहाइट **(4.4** डिग्री सेल्सियस**)** से अधिक नहीं रहा, जिसे अपीलार्थीगण ने **14** अक्टूबर **2008** को अपने संचार में भी स्वीकार किया था।यह दावा कि आलू का सड़ना उच्च तापमान के कारण हुआ था, केवल **17** फरवरी **2009** को किया गया था, जिसे एन**.** सी**.** डी**.** आर**.** सी**.** ने **14** अगस्त **2018** के अपने विवादित फैसले में "बाद के विचार" के रूप में वर्णित किया है।इस प्रकार, बीमा पॉलिसी के संदर्भ में, बीमाकर्ता आलू को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि भंडारण का तापमान **40** डिग्री फारेनहाइट से ऊपर नहीं बढ़ा है। इसके अलावा, बीवी नागराजू के विपरीत, इस मामले में अपवाद न तो बहुत व्यापक है और न ही बीमा पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य के साथ टकराव में है।बीमा पॉलिसी अपीलार्थीगण द्वारा कोल्ड स्टोरेज में रखे गए आलू के बिगड़ने को कवर करती है।कोल्ड स्टोरेज का तापमान आलू के स्वास्थ्य के लिए मौलिक है, जिसके संबंध में नीति बनाई गई है।यह एक वाहन द्वारा ले जाए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित अपवाद से अलग है, जो बीवी नागराजू में अपवाद का विषय था।बीमाकर्ता ने **40** डिग्री फारेनहाइट के तापमान को इष्टतम तापमान के रूप में पहचाना है, जिस पर आलू सड़ना नहीं चाहिए और इस प्रकार **40** डिग्री फारेनहाइट से नीचे या उसके बराबर तापमान पर आलू के बिगड़ने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी दायित्व से खुद को मुक्त कर दिया है। डी**.** ओ**.** एस**.** नीति के अपवादों के खंड **(vi)** को पढ़ने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह नीति के मुख्य उद्देश्य के साथ टकराव में नहीं है।**[**पैरा **16] [374-**ई**-**एच**; 375-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामराजेश्वर

जी.

शर्मा और अन्न। (2019) 2 एससीसी 671:[2018] 14 एससीआर

1181; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामसोनी चेरियन

(1999) 6 एससीसी 451:[1999] 1 पूरक।एस. सी. आर. 622; बीवी ए

एच.

365

मेसर्स शिवराम चंद्र जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

नागराजू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल

अधिकारी, हसन (1996) 4 एससीसी 647:[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 22-विश्वसनीय।

सिक्का पेपर्स लिमिटेड बनामराष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड

& ओआरएस। (2009) 7 एससीसी 777:[2009] 9 एससीआर 1088;

बी.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामसमयानल्लूर प्राइमरी

कृषि सहकारी समिति।बैंक (1999) 8 एससीसी 543:[1999] 4

पूरक।एससीआर **329;** संगरूर सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**. (2020) 16** एस**.** सी**.** सी**.**

292 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

सी.

[2009] 9 एससीआर **1088**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

[1999] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर **622** पर निर्भर

पैरा **14 [1999] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 329** पैरा **14 [1996] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 22** पर निर्भर

डी.

पैरा **15**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 2371।

ई.

2010 के उपभोक्ता शिकायत No.37 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 14.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

संजीव कुमार, अजय अमृतराज, संजय कुमार, नायक एच. के., सुधांशु पालो, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।

एफ.

सुश्री अवंतिका मनोहर, प्रशांत कुमार, सुश्री मीरा माथुर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

जी.

1. अपील 2010 के उपभोक्ता मामला संख्या 37 में 14 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

1 “एनसीडीआरसी "

एच.

366

ए.

2. अपीलार्थीगण का बीमा दावा स्टॉक पॉलिसी 2 में सुधार के तहत उत्पन्न हुआ, जिसमें अपीलार्थी द्वारा कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत आलू के स्टॉक को शामिल किया गया था।डी. ओ. एस. नीति की प्रासंगिक शर्तों ने संकेत दिया कि -

“.....बीमाकर्ता द्वारा कंपनी को अनुसूची II में उल्लिखित प्रीमियम का भुगतान करने पर विचार करते हुए कंपनी एतद्वारा बीमाकर्ता से सहमत होती है कि अनुसूची II में उल्लिखित बीमा अवधि के दौरान किसी भी समय या किसी भी बाद की अवधि के दौरान जिसके लिए बीमाकर्ता भुगतान करता है और कंपनी इस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए प्रीमियम स्वीकार कर सकती है, कंपनी बीमाकर्ता को उस तरीके से और उस सीमा तक क्षतिपूर्ति करेगी जो इसके बाद अनुसूची II में वर्णित स्टॉक को संदूषण और/या गिरावट के कारण नुकसान के लिए प्रदान की गई है, रेफ्रिजरेशन चैंबर्स में किसी दुर्घटना के कारण तापमान में वृद्धि या क्षति के परिणामस्वरूप सड़ांध, जैसा कि यहाँ परिभाषित किया गया है।इस पॉलिसी के तहत कंपनी की कुल देनदारी अनुसूची II में निर्दिष्ट बीमित राशि तक सीमित होगी।

बी.

सी.

डी.

3. उपरोक्त प्रावधान के परंतुक में निर्धारित किया गया था किः“हमेशा प्रदान किया जाता है किः

ई.

(i) इस बीमा की पूरी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति के पास शीत भंडारण के संचालन के लिए सक्षम अनुज्ञप्ति प्राधिकरण की लिखित अनुमति होगी।((ii) हानि या क्षति के समय उक्त भंडार उक्त प्रशीतन कक्षों में निहित होते हैं।

एफ.

(iii) अनुसूची I में निर्दिष्ट संयंत्र और मशीनरी का बीमा लागू मशीनरी बीमा पॉलिसी के तहत किया गया है और भुगतान किया गया होगा या ऐसे बीमा के तहत दायित्व स्वीकार किया गया होगा; यदि इस बीमा के तहत कोई भुगतान केवल किसी भी 'अतिरिक्त' के संचालन के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के तहत कंपनी की देयता प्रभावित नहीं होगी।

जी.

2 “ डी. ओ. एस नीति "

एच.

ए.

(iv) बीमित व्यक्ति, दैनिक आधार पर, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक स्टॉक बुक रखता है, जिसमें संग्रहीत स्टॉक का प्रकार, मात्रा और मूल्य और प्रत्येक प्रशीतन कक्ष के लिए भंडारण अवधि की शुरुआत और अंत अलग से दर्ज किया जाता है।

(v) भंडारण की पूरी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रोफार्मा के अनुसार लॉग बुक में बीमित रिकॉर्ड पूरे दिन चार घंटे के आधार पर प्रशीतन कक्षों के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के साथ-साथ चूषण निर्वहन और तेल के दबाव को भी पढ़ता है।

बी.

(vi) भंडारित स्टॉक से संबंधित बीमित व्यक्ति की स्टॉक बुक, लॉग बुक और अन्य सभी रिकॉर्ड हर उचित समय पर कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।"

सी.

4. परिभाषाओं के खंड (ए) में "दुर्घटना" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

डी.

"क) अनुसूची I में निर्दिष्ट मशीनरी बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई दुर्घटना के कारण इस पॉलिसी की अनुसूची में वर्णित संयंत्र और मशीनरी को कोई अचानक या अप्रत्याशित नुकसान या क्षति और इसके बाद इसमें शामिल नहीं किया गया है।"

ई.

5. डी. ओ. एस. नीति के अपवादों में, खंड (vi) ने निर्धारित किया कि बीमाकर्ता निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगाः

"(vi) यदि प्रशीतन कक्षों में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है तो कोई नुकसान।"

6. इसी तरह, खंड (viii) ने बीमाकर्ता के दायित्व के मामले में निम्नलिखित अपवाद प्रदान कियाः

एफ.

"(viii) हवा के अपर्याप्त परिसंचरण/किसी भी कारण से तापमान में एकरूपता न होने के कारण अनुचित भंडारण से होने वाला कोई भी नुकसान।"

7. डी. ओ. एस. नीति की वारंटी, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः

जी.

“6. बीमित व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा किः

i) ठंडे कक्षों के अंदर का तापमान 34 डिग्री फ़ारेनहाइट (1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक नीचे लाया जाता है। डिग्री सी) लोडिंग शुरू होने से पहले सभी कक्षों की सभी मंजिलों में और;

एच.

ii) आगे यह सुनिश्चित करें कि भंडारण की पूरी अवधि के दौरान सभी कक्षों में तापमान 59 डिग्री फ़ारेनहाइट (10 डिग्री सेल्सियस) और बाद की अवधि के दौरान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट (4.4 डिग्री सेल्सियस) से अधिक न हो।”

8. 10 अक्टूबर 2008 को, अपीलार्थीगण ने किसानों को सूचित किया कि कोल्ड स्टोरेज में आलू का स्टॉक अंकुरित हो गया है।13 अक्टूबर 2008 को बीमाकर्ता को एक दावा प्रस्तुत किया गया था।उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर 2008 को अपीलार्थीगण के संचार में यह कहा गया था कि स्टॉक की लोडिंग सामान्य तापमान पर की गई थी और तब तक उचित तापमान बनाए रखा गया था, जिसका लॉगबुक में उल्लेख किया गया था।संचार से प्रासंगिक उद्धरण में यह कथन है किः

बी.

सी.

“iii. लोडिंग के समय, लोडिंग सामान्य तापमान पर की गई थी और आज तक उचित तापमान बनाए रखा गया था, जिसका उल्लेख लॉग-बुक में किया गया है।”

9. 11 नवंबर 2008 को दायर किए गए दावा प्रपत्र में खंड 12 में एक विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता थी, जो बीमित व्यक्ति के अनुसार, स्टॉक के बिगड़ने का कारण था।प्रश्न भरा नहीं गया था।इसके बाद, 17 फरवरी 2009 को, पहले अपीलार्थीगण के प्रतिनिधि का बयान सर्वेक्षणकर्ता द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि आलू के सड़ने का मुख्य कारण सितंबर और अक्टूबर के महीनों में तापमान में वृद्धि थी और अपीलार्थीगण नियमित रूप से लॉगबुक में दर्ज तापमान की जांच करते थे जिसे संचालक ने गलती से दर्ज

किया था।यह पहले के बयान से एक स्पष्ट प्रस्थान था कि आवश्यक तापमान बनाए रखा गया था, जैसा कि लॉग शीट में दर्ज किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

10. अभिलेख पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लॉग शीट से संकेत मिलता है कि 18 अक्टूबर 2008 से पहले तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस (40 डिग्री फारेनहाइट) की निर्धारित सीमा के भीतर था।अभिलेख पर रखी गई सामग्री इंगित करती है कि अपीलार्थीगण का मामला, जैसा कि 14 अक्टूबर 2008 के पत्र में प्रमाणित किया गया है, यह था कि लोडिंग के समय और संचार की तारीख तक, दोनों में उचित तापमान बनाए रखा गया था।यह प्रस्तुतिकरण, वास्तव में, लॉग शीट द्वारा किया जाता है।पॉलिसी के अपवादों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि प्रशीतन कक्ष में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है तो बीमाकर्ता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नतीजतन, वारंटी के खंड 6 में बीमाकर्ता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भंडारण की अवधि के दौरान तापमान 40 डिग्री फारेनहाइट (4.4 डिग्री सेल्सियस) से अधिक न हो।ए को ध्यान में रखते हुए

जी.

एच.

369

मेसर्स शिवराम चंद्र जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज बनाम न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

नीति की विशिष्ट शर्तों के लिए, अपीलार्थीगण का यह स्वीकार करना कि सभी भौतिक समय पर तापमान बनाए रखा गया था, स्पष्ट रूप से नीति के अपवादों को आकर्षित करेगा।

11. हालाँकि, अपीलार्थीगण की ओर से पेश अधिवक्ता श्री संजीव कुमार ने उस निष्कर्ष पर भरोसा करने की कोशिश की जो सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट में परिलक्षित हुआ था।निष्कर्ष इस प्रकार हैः

बी.

“मेरी राय में अंकुरण केवल कक्ष में उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण हो सकता था, जो हालांकि लॉग बुक में दर्ज सूखे और गीले बल्ब के तापमान से मेल नहीं खाता है।ऐसा लगता है कि अंकुरण का कोई अन्य कारण नहीं है।प्रदान किए गए कम्प्यूटरीकृत स्टॉक विवरण के अनुसार लोडिंग लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर थी।”

सी.

12. उपरोक्त निष्कर्ष को सर्वेक्षणकर्ता की पूरी रिपोर्ट से अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।इसके विपरीत, रिपोर्ट में एक विशिष्ट निष्कर्ष है कि तापमान 40 डिग्री फारेनहाइट से अधिक नहीं था। इसके अलावा, सर्वेक्षणकर्ता ने नोट किया कि 14 अक्टूबर 2008 और 17 फरवरी 2009 के अपीलार्थीगण के बयानों में विरोधाभास है।अपीलार्थीगण ने पहले 14 अक्टूबर 2008 को कहा था कि भंडारण का तापमान अनुमेय सीमा के भीतर बनाए रखा गया था, लेकिन 17 फरवरी 2009 को दावा किया कि अंकुरण सितंबर और अक्टूबर के महीनों में तापमान में वृद्धि का परिणाम था, और संचालक ने गलती से तापमान दर्ज किया था। सर्वेक्षणकर्ता विशेष रूप से नोट करता है कि "लॉगबुक के रूप में temperature.the साक्ष्य में वृद्धि के समर्थन में कोई सबूत नहीं है और बीमित व्यक्ति के पहले के बयानों से यह स्थापित होता है कि 14 अक्टूबर 2008 तक तापमान कभी भी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं था।"इसलिए, सर्वेक्षणकर्ता ने कहा कि नीति के अपवादों के खंड (vi) को देखते हुए दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, बीमाकर्ता ने तदनुसार किसी भी दायित्व को अस्वीकार कर दिया।सिक्का पेपर्स लिमिटेड बनाम.राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य। 3, इस न्यायालय ने कहा कि हालांकि सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट अंतिम शब्द नहीं है, लेकिन इससे अलग होने का एक वैध कारण होना चाहिए।वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण ने सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट से हटने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताए हैं और वास्तव में इस कथन को पुष्ट करने के लिए रिपोर्ट के एक हिस्से पर भरोसा किया है कि शीत भंडारण का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया था, जो कि जैसा कि हमने ऊपर प्रकाश डाला है, रिपोर्ट का आंशिक अध्ययन है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

3 (2009) 7 एस. सी. सी. 777

एच.

13. एम. एन. श्रीनिवासन और के. कन्नन ने बीमा कानून के सिद्धांतों में बीमा पॉलिसी में अपवादों की भूमिका के बारे में बताया है।बीमाकर्ता केवल ऐसे नुकसानों के खिलाफ बीमाकृत को क्षतिपूर्ति करना चाहता है जो "सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले कुछ खतरों के कारण होते हैं जिनके प्रभाव सांख्यिकीय रूप से अनुमानित होते हैं।" बीमाकर्ता अन्य खतरों के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करना चाहेगा जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हो सकता है।इस प्रकार, बीमाकर्ता के दायित्व को छूट देने के लिए अपवाद जोड़े जाते हैं, जिसके लिए वह अन्यथा उत्तरदायी होगा।4 इसी तरह, ए. डब्ल्यू. बेकर ने दुर्घटना बीमा से संबंधित कानून में कहा है कि बीमित व्यक्ति को यह सूचित करने के लिए कि अपवादात्मक कारणों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी, बीमा पॉलिसियों में 'अपवादात्मक खंडों' को प्रचुर मात्रा में डाला जाता है।में।

बी.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामराजेश्वर शर्मा और अन्र। **5,**

सी.

आकस्मिक से संबंधित कानून से निम्नलिखित उद्धरण

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने बीमा पर भरोसा किया था, जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थेः

“अपवादों का उद्देश्य यह स्पष्ट करके नीति के दायरे को अधिक सटीकता के साथ परिभाषित करना है कि किस चीज को बाहर रखा जाना है और किस चीज को शामिल किया जाना है, इसके विपरीत है।

डी.

चूंकि पॉलिसी में अपवाद मुख्य रूप से बीमाकर्ताओं को नुकसान के दायित्व से छूट देने के उद्देश्य से जोड़े जाते हैं, लेकिन अपवाद के लिए, पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा, इसलिए उन्हें बीमाकर्ताओं के खिलाफ अत्यधिक सख्ती के साथ माना जाता है और यह बीमाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे अपने दायित्व को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में छोड़ दें।यह साबित करने की जिम्मेदारी कि नुकसान अपवाद के भीतर आता है, बीमाकर्ताओं पर है, जब तक कि अपवाद की भाषा को साबित करके, बीमाकृत को स्पष्ट रूप से यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि परिस्थितियों में, अपवाद लागू नहीं होता है।” 6

ई.

एफ.

14. न्यू इंडिया एस्योरेंस (उपरोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि बीमाकर्ता को किसी अपवादात्मक कारण से उत्पन्न दायित्व से छूट देने वाले खंड में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो बीमाकर्ता द्वारा दावे को खारिज किया जा सकता है।

बीमाकर्ता।ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामसोनी चेरियन **7,** एक दो **-**

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने कहा कि एक बीमा पॉलिसी होनी चाहिए

जी.

4 एम. के. श्रीनिवासन और के. कन्नन, बीमा कानून के सिद्धांत (लेक्सिसनेक्सिस इंडिया, 10 वीं संस्करण, 2018)

5 (2019) 2 एस. सी. सी. 671

6 ए. डब्ल्यू. बेकर वेलफोर्ड, दुर्घटना बीमा से संबंधित कानून (बटरवर्थ एंड कंपनी, 1923),p.126

7 (1999) 6 एससीसी 451 ए

एच.

371

मेसर्स शिवराम चंद्र जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज बनाम न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

बीमाकर्ता के दायित्व की सीमा की पहचान करने के लिए सख्ती से समझा जाता है।इस न्यायालय ने कहा कि जहां एक ट्रक का बीमा केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी परमिट के संदर्भ में असुरक्षित सामान ले जाने के लिए किया गया था, वहां बीमा दावा तब नहीं किया जा सकता था जब ईथर विलायक ले जाते समय ट्रक में आग लग गई थी, जिसे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 137 की तालिका III के तहत एक खतरनाक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।यद्यपि नियमों में 'एथिल ईथर' को एक खतरनाक पदार्थ के रूप में उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने कहा कि ईथर विलायक केवल ईथर के लिए एक वर्णनात्मक शब्द है और ईथर और एथिल ईथर एक ही पदार्थ हैं।इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

बी.

“17. बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच बीमा पॉलिसी पक्षों के बीच एक अनुबंध का प्रतिनिधित्व करती है।चूँकि बीमाकर्ता बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिमों के कारण बीमाकृत को हुए नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है**,** इसलिए बीमाकर्ता के दायित्व को निर्धारित करने के लिए समझौते की शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। बीमित व्यक्ति जो कवर किया गया है उससे अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है।

सी.

डी.

बीमा पॉलिसी द्वारा।ऐसा होने पर, बीमित व्यक्ति को पॉलिसी में स्पष्ट रूप से निर्धारित वैधानिक सीमाओं या शर्तों के अनुसार सख्ती से कार्य करना होगा।

18. तत्काल मामले में, "उपयोग की सीमाओं" को निर्दिष्ट करते हुए, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नीति केवल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अर्थ में परिभाषित माल की ढुलाई को कवर करने के लिए थी।अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी को दिए गए "परमिट" में माल की प्रकृति निर्दिष्ट की गई थी जिसे वह वाहन पर ले जा सकता था।"परमिट" में ही यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्यर्थी "निषिद्ध वस्तुओं को छोड़कर मछली सहित सभी प्रकार के हानिकारक सामान ले जा सकता है।यह स्पष्ट है कि खतरनाक सामान ले जाने के लिए "परमिट" नहीं दिया गया था।यह पहले से ही ईथर के ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपने वाहन में ले जाया जा रहा था, नियम 137 के तहत तालिका III में इंगित एक खतरनाक पदार्थ है।इसलिए, प्रत्यर्थी के खिलाफ अपने वाहन में एक खतरनाक और वह भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के लिए एक विशिष्ट निषेध था, जिसका उपयोग उसे दिए गए "परमिट" के तहत केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत खतरनाक सामान ले जाने के लिए किया जा सकता था।

ई.

एफ.

जी.

(बल दिया गया)

एच.

इसी तरह, ओरिएंटल में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

बीमा कंपनी लिमिटेड बनामसमयानल्लूर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति।

बैंक 8 ने माना कि एक बीमा पॉलिसी का अर्थ केवल इसकी शर्तों के संदर्भ में ही लगाया जाना चाहिए और पॉलिसी के शब्दों को कोई कृत्रिम अर्थ नहीं दिया जा सकता है।इस न्यायालय ने कहा कि नकदी डिब्बे को चोरी बीमा पॉलिसी के अर्थ में 'सुरक्षित' के रूप में

वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और बीमाकर्ता को नकदी डिब्बे से गहने और नकदी की चोरी से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व से छूट दी गई है।बीमा पॉलिसी के अपवादों को सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए नुकसान के संबंध में पक्षों के बीच समझौते को दर्शाते हैं।इस सिद्धांत से कोई भी विचलन तभी संभव है जब नीति की शर्तें अस्पष्ट या अस्पष्ट हों।संगरूर सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम यूनाइटेड

बी.

सी.

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. **9,** इसकी दो-न्यायाधीशों की पीठ

अदालत, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थे, ने कहा कि यदि दो निर्माण संभव हैं या यदि कोई अस्पष्टता है, तो एक निर्माण जो बीमित व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, उसे पॉलिसी के उद्देश्य के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए।

डी.

15. एक अन्य उदाहरण जहां अपवाद खंडों की व्याख्या बीमित व्यक्ति के लाभ के लिए की जा सकती है, वह है जब अपवाद खंड बहुत व्यापक होते हैं और बीमा के मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते हैं।

नीति।बीवी नागराजू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिवीजनल

अधिकारी, हसन 10, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नीति के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अपवाद खंड को पढ़ा।हालाँकि, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपवाद खंड का उल्लंघन प्रकृति में इतना मौलिक नहीं था कि बीमा पॉलिसी को अस्वीकार कर दिया जाता।उस मामले में, बीमा पॉलिसी की शर्तों ने एक बीमित वाहन को चालक को छोड़कर छह श्रमिकों को ले जाने की अनुमति दी।जब वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसमें चालक के अलावा नौ लोग सवार थे।बीमित व्यक्ति ने वाहन की मरम्मत के लिए दावा दायर किया था, जिसे बीमाकर्ता ने खारिज कर दिया था।दावे को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

ई.

एफ.

“7. बीमा पॉलिसी की शर्तों से यह स्पष्ट है कि बीमित वाहन चालक को छोड़कर **6** श्रमिकों को ले जाने का हकदार था।यदि वाहन में यात्रा करते समय उन **6** श्रमिकों को किसी भी जोखिम में वृद्धि नहीं माना जाता है

जी.

8 (1999) 8 एससीसी 543 9 (2020) 16 एससीसी 292 10 (1996) 4 एससीसी 647 ए

एच.

373

मेसर्स शिवराम चंद्र जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज बनाम न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

बीमा कंपनी के दृष्टिकोण से दुर्घटना होने पर, उन जोड़े गए व्यक्तियों के बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने इसके कारण में योगदान दिया है, जो कि उसके द्वारा वहन किए जा रहे भार को अलग रखते हैं।यहाँ, यह किसी का मामला नहीं है कि बीमित वाहन का चालक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था।वास्तव में, यह विवादित नहीं था कि आने वाला वाहन बीमित वाहन से आमने-सामने टकरा गया था, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ था।मालिक की जानकारी के बिना, वाहन के चालक या क्लीनर द्वारा केवल एक या दो या तीन लोगों को उठाकर, इसे इतना मौलिक उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है कि मालिक को सभी मामलों में, क्षतिपूर्ति से इनकार किया जाना चाहिए।हालांकि वाहन का दुरुपयोग कुछ हद तक अनियमित था, लेकिन प्रकृति में इतना मौलिक नहीं था कि अनुबंध को समाप्त किया जा सके, जब तक कि कुछ कारक मौजूद न हों, जो दुर्घटना के कारण में योगदान करने के लिए गए थे।पल भर में

बी.

सी.

हालाँकि, हमें ऐसा कोई अंशदायी कारक नहीं मिलता है।स्कंदिया मामले [(1987) 2 एस. सी. सी. 654] में इस न्यायालय ने संविदात्मक खंड को नीचे पढ़ने का मार्ग प्रशस्त कियाः(एस. सी. सी. पीपी. 665-66, पैरा 14)

डी.

“... जब विकल्प किसी ऐसे दृष्टिकोण को चुनने के बीच है जो एक ओर दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके आश्रितों के संकट और दुर्दशा को दूर करेगा और दूसरी ओर समान रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण जो व्यावसायिक गतिविधि के माध्यम से बीमाकर्ता द्वारा किए गए व्यावसायिक खतरे के संबंध में उसकी लाभप्रदता को कम करेगा, तो शायद ही कोई विकल्प हो।न्यायालय पूर्व दृष्टिकोण का चयन किए बिना नहीं रह सकता है।यहां तक कि अगर कोई सख्ती से सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाता है, तो भी वही निष्कर्ष प्रावधान के 'मुख्य उद्देश्य' के आलोक में बहिष्करण खंड को 'पढ़ने' के सिद्धांत के प्रति सम्मान में सामने आएगा ताकि 'बहिष्करण खंड' पहले बताए गए 'मुख्य उद्देश्य' के साथ तलवारों को पार न कर सके।मुख्य उद्देश्य पर बहिष्करण खंड को सफलतापूर्वक दबाने की अनुमति देने के बजाय दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए।जिस सिद्धांत को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं है, वह कार्टर के 'अनुबंध के उल्लंघन' द्वारा पैराग्राफ 251 द्वारा समर्थित है।उद्धृत करने के लिएः

ई.

एफ.

जी.

“दायित्वों को परिभाषित करने के लिए काम करने वाले बहिष्करण खंडों के लिए सहमत होने के लिए अनुबंध करने वाले दलों की सामान्य क्षमता के बावजूद एक नियम मौजूद है, जिसे आमतौर पर 'मुख्य उद्देश्य नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो

एच.

वचनदाता के संविदात्मक दायित्वों को परिभाषित करने वाले व्यापक बहिष्करण खंडों के अनुप्रयोग को सीमित कर सकता है।उदाहरण के लिए, ग्लिन बनाम मार्गटसन एंड कंपनी में [1893 एसी 351:(1891-94) सभी ई. आर. प्रतिनिधि 693] (पी. पर एसी। 357), लॉर्ड हैल्सबरी, एल. सी. ने कहाः

‘मुझे ऐसा लगता है कि इस दस्तावेज़ का अर्थ निकालने में, जो पक्षों के बीच परिवहन का अनुबंध है, किसी को पहली बार में पूरे दस्तावेज़ को देखना चाहिए, न कि केवल इसके एक हिस्से को।पूरे साधन को देखते हुए, और यह देखते हुए कि किसी को अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में क्या मानना चाहिए, किसी को शब्दों को अस्वीकार करना चाहिए, वास्तव में पूरे प्रावधान, यदि वे अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के साथ असंगत हैं।’

बी.

सी.

हालाँकि इस नियम ने मौलिक उल्लंघन के सिद्धांत के विकास में एक भूमिका निभाई, लेकिन जब इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया तो नियम की निरंतर वैधता को स्वीकार किया गया।

सुइस अटलांटिक सोसाइटी डी 'आर्ममेंट मैरीटाइम एसए बनाम एनवी रॉटरडैम योजना कोलेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा

डी.

सेंट्रल **[(1967) 1** एसी **361:(1966) 2** सभी ईआर **61:(1966) 2** डब्ल्यूएलआर **944]**।तदनुसार**,** व्यापक बहिष्करण खंडों को उस हद तक पढ़ा जाएगा जिस हद तक वे अनुबंध के मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य से असंगत हैं।**”**

(जोर जोड़ा गया) 16।वर्तमान मामले में, अपवाद के संदर्भ में कोई अस्पष्टता नहीं है।डी. ओ. एस. नीति के अपवाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि प्रशीतन कक्षों में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है तो बीमाकर्ता नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।” सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तापमान कभी भी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहा, जिसे अपीलार्थीगण ने 14 अक्टूबर 2008 को अपने संचार में भी स्वीकार किया था।यह दावा कि आलू का सड़ना उच्च तापमान के कारण हुआ था, केवल 17 फरवरी 2009 को किया गया था, जिसे एन. सी. डी. आर. सी. ने 14 अगस्त 2018 के अपने विवादित फैसले में "बाद के विचार" के रूप में वर्णित किया है।इस प्रकार, बीमा पॉलिसी के संदर्भ में, बीमाकर्ता आलू को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि भंडारण का तापमान 40 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर नहीं बढ़ा है।बीमा पॉलिसी अपीलार्थीगण द्वारा कोल्ड स्टोरेज में रखे गए आलू के बिगड़ने को कवर करती है।कोल्ड स्टोरेज का तापमान आलू के स्वास्थ्य के लिए मौलिक है जिससे संबंधित नीति में ए है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

375

मेसर्स शिवराम चंद्र जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज बनाम न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

लिया गया है।यह एक वाहन द्वारा ले जाए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित अपवाद से अलग है, जो बीवी नागराजू (उपरोक्त) में अपवाद का विषय था।बीमाकर्ता ने 40 डिग्री फारेनहाइट के तापमान को इष्टतम तापमान के रूप में पहचाना है, जिस पर आलू सड़ना नहीं चाहिए और इस प्रकार 40 डिग्री फारेनहाइट से नीचे या उसके बराबर तापमान पर आलू के बिगड़ने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी दायित्व से खुद को मुक्त कर दिया है। डी. ओ. एस. नीति के अपवादों के खंड (vi) को पढ़ने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह नीति के मुख्य उद्देश्य के साथ टकराव में नहीं है।

बी.

17. इसलिए, हमने, ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उस निवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसका बीमाकर्ता की ओर से सुश्री अवंतिका मनोहर, विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया है कि पॉलिसी में विशिष्ट अपवादों को ध्यान में रखते हुए बीमाकर्ता द्वारा दावे को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था।

सी.

18. इस पृष्ठभूमि में, उपभोक्ता की शिकायत को खारिज करने वाले एन. सी. डी. आर. सी. के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।तदनुसार अपील खारिज हो जाएगी।

डी.

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

ई.

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.